



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल: cfwestern49@rediffmail.com.

पत्र संख्या 1074 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक, फरवरी, 20 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लाट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74(नया NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं०-8वी/यू.सी.पी./06/14/2023/एफ.सी. दिनांक-08.01.2024।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में आपत्ति लगायी गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 4859/12-1 दिनांक 06.02.2024 से आपत्ति का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जो निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	यह पाया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ख) का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः राज्य सरकार शर्त संख्या 3 (ख) की अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अभी सैद्धान्तिक स्वीकृति ही प्राप्त हुयी है। जिस कारण प्रकरण ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाती है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त बिन्दु का अनुपालन कर दिया जायेगा।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद में सीए योजना में निर्धारित राशि से अधिक राशि जमा की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार अपना अभिमत प्रदान करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रमुख वन संरक्षक के पत्र संख्या-1459/12-1 दिनांक-01.07.2021 द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक-30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार निर्धारण किया गया। जिसके क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर रू० 4,48,791.00 से उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि 1.581 है० हेतु 7,09,539.00 की धनराशि आंकलित की गयी। जिसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाता संख्या-150895034259595 में NEFT/RTGS चालान के माध्यम से किया गया है।

क्र.सं.	आपत्ति	अनुपालन आख्या
3	सीए क्षेत्र की केएमएल फाइल इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की केएमएल फाइल (02 सी0डी0) प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या मय संलग्नकों सहित सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1074 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 4859/12-1 दिनांक 06.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।





कायविय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशगवाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfotcw@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक - 4859

/ 12-1

हल्द्वानी, दिनांक

06/02/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:-

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लाट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74(नया NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं०-8बी/यू.सी.पी./06/14/2023/एफ.सी. दिनांक-08.01.2024।(संलग्न-1)

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत करना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र से तीन बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
01	यह पाया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ख) का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः राज्य सरकार शर्त संख्या 3 (ख) की अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण में अभी सैद्धान्तिक स्वीकृति ही प्राप्त हुयी है। जिस कारण प्रकरण ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाती है। अतः विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त बिन्दु का अनुपालन कर दिया जायेगा।
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद में सीए योजना में निर्धारित राशि से अधिक राशि जमा की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार अपना अभिमत प्रदान करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सीए योजना में प्रमुख वन संरक्षक के पत्र संख्या-1459/12-1 दिनांक-01.07.2021 द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक-30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार निर्धारण किया गया। जिसके क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 448791.00 रु० से उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि 1.581 है० हेतु 709539.00 की धनराशि आंकलित की गयी। जिसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाता संख्या-150895034259595 में NEFT/RTGS चालान के माध्यम से किया गया है।
03	सीए क्षेत्र की केएमएल फाइल इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में सीए क्षेत्र की केएमएल फाइल संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-2) 2-सी०डी०

(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक-4859 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, ग्रीन पार्क, वीसलपुर रोड, बरेली।



(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/14/2023/एफ.सी.

दिनांक:

/01/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लाट-4/ पैकेज-2 के तहत बरेली से
सितारगंज तक NH-74 (नया NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 है० वन भूमि
का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/
ROAD/146609/2021)

सन्दर्भ: कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का
पत्रांक 1335/12-1 दिनांक 26-12-2023 (received online on 28.12.2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने
का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रस्ताव में प्रदान की
गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत
अनुपालना आख्या में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं
पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा
सके:-

1. यह पाया गया कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(ख) का अनुपालन नहीं
किया गया है, अतः राज्य सरकार शर्त संख्या 3(ख) की अनुपालना इस कार्यालय
में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद में सीए योजना में निर्धारित राशि से अधिक
राशि जमा की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार अपना अभिमत प्रदान करें।
3. सीए क्षेत्र की केएमएल फाइल इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,
Signed by Neelima Shah

Date: 08-01-2024 10:49:24

Reason: Approved (मांलिमा शाह, भा० व० से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु।